न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थी/वादी–

1. जमुनादेवी बेवा हनुमानप्रसाद
   जति–ब्राह्मण निवासी–नोखा जोधा , तहसील–जायल

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण–

1. डूंगरमल पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
2. प्रेमचन्द पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
3. नानूराम पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
4. श्यामसुन्दर पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
5. रूपचन्द पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
6. गणपत पुत्र मोहनलाल
7. जसकरण पुत्र मोहनलाल
8. कुंभराज पुत्र मोहनलाल
9. खेमराज पुत्र मोहनलाल
10. चौथमल पुत्र मोहनलाल
11. रामवतार पुत्र मोहनलाल
12. भागीरथ पुत्र केदारमल
13. रामकुंवार पुत्र केदारमल
14. माणकचन्द पुत्र केदारमल
15. नेमीचन्द पुत्र केदारमल
16. नागरमल पुत्र केदारमल
17. सरजू पत्नि भंवरलाल
18. तुलछीराम पुत्र किशनलाल जातियान ब्राह्मण निवासीगण नोखाजोधा तहसील जायल
19. विनोद गोद पुत्र सरजू जाति ब्राहमण निवासी नोखाजोधा तहसील जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 144 (सिविल प्रक्रिया संहिता) दिनांक 09.08.2019

1. अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ , अप्रार्थी 3 , 5 से 9 , 13 से 19 की ओर से।
3. एकपक्षिय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1,2, 4, 10, 11, 12,

मुकदमा नं. 55/2019 दिनांक : 11/05/2022

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन धारा 144 सीपीसी को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 से 18 ने एक राजस्व वाद बाबत् हक घोषणा

11/05/2022
(एस.डी.ओ.) जायल

खातेदारी ,बंटवाड़ा खेताय एंव दुरूस्ती रेकर्ड आदि हेतु न्यायालय हाजा में विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल के पेश किया जिसमें मौजा नोखा जोधा के खेताय ख.न. 223, 223/467, 223/468, 32/466, 348, 251/469 व 380 के सम्बन्ध में बंटवाड़ा एंव अलग–अलग खातेदारी घोषित किये जाने की याचना चाही गयी। प्रार्थीया व अप्रार्थी 1 से 18 तथा दीगर व्यक्ति मोहनलाल पुत्र सीताराम ,जेठीदेवी पत्नि केदारमल , राजाराम पुत्र किशनलाल भी वाद पत्र में वादी दर्ज रहे। वाद संख्या 144/1999 अनवान डूंगरमल वगैराह बनाम सरकार दर्ज होकर बाद सुनवाई के वाद वादीगण दिनांक 24.7.2008 को स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री पारित बाबत आदेश होकर दिनांक 8.8.2008 को निर्णय माफिक डिक्री पर्चा जारी किया गया।

2. राजाराम पुत्र किशनलाल व अप्रार्थी संख्या 19 विनोद गोद पुत्र सरजू ने एक वाद पत्र अप्रार्थी संख्या 17 व 18 के विरूद्ध तथा राजस्थान सरकार के विरूद्ध वर्ष 2008 में प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खेताय मौजा नोखाजोधा के ख.न. 32/466, 223/467, 2323/468, 251/469, 348, 380 कुल 71.04 बीघा भूमि के विभाजन व खातेदारी घोषणा बाबत राजस्व वाद संख्या 215/2008 अनवान राजाराम वगैराह बनाम सरजू वगैराह का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जो वाद पत्र दिनांक 30.7.2009 का स्वीकार कर निर्णय एंव डिक्री किया जाकर डिक्री पर्चा जारी किया गया।

3. प्रार्थीया को पश्चातवर्ती दावा के डिक्री व निर्णय की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 जो वाद संख्या 215/08 में पारित की गयी बाबत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर की अदालत में पेश की जो अपील अनुवान जमुना बनाम राजाराम वगैराह अपील संख्या 75/2010 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई दोनों पक्षकारों के दिनांक 15.3.2015 को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय से वाद संख्या 215/2008 दिनांक 30.7.2009 का पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया । जिस निर्णय की आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में अपील या निगरानी आदि पेश नहीं हुई है अर्थात राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपील संख्या 75/2010 का निर्णय अन्तिम है।

11/05/2022

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 की पालना होकर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री के अनुसार ख.न. 32/466 रकबा 11.10 बीघा, ख.न. 223/467 रकबा 18.00 बीघा , ख.न. 223/468 रकबा 14.00 बीघा , ख.न. 251/469 रकबा 13.10 बीघा , ख.न. 348 रकबा 4.19 बीघा, ख.न. 380 रकबा 9.05 बीघा का बंटवाड़ा होकर जरिये नामान्तरकरण सख्या 385 दिनांक 5.10.2009 के राजाराम ,विनोद,सरजू व तुलछीराम की खातेदारी में अलग–अलग दर्ज कर दिये गये । माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 30.7.2009 को अपील न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिये जाने व उसकी आज दिनांक तक कोई अपील निगरानी नहीं होने से अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.3.2015 अन्तिम है जिससे वाद संख्या 215/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 के तहत राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज को उपान्तरण कराया जाकर माननीय न्यायालय से वाद संख्या 114/1999 अनवान डूंगरमल वगैराह बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2008 को की गई जिसक डिक्री पर्चा दिनांक 8.8.2008 को जारी किया गया के अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 में पारित डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेखों में कराये गये इन्द्राज को उपान्तरित कराते हुए निर्णय दिनांक 28.4.2008 डिक्री दिनांक 8.8.2008 जो वाद संख्या 114/1999 में पारित किये गये के अनुसार मौजा नोखाजोधा के खेताय ख.न. 223 रकबा 23 बीघा , ख.न. 52/466 रकबा 11.10 बीघा , ख.न. 223/467 रकबा 18 बीघा , खन. 223/468 रकबा 14 बीघा , ख.न. 251/469 रकबा 13.10 बीघा , ख.न. 348 रकबा 4.19 बीघा , ख.न. 380 रकबा 9.05 बीघा की खातेदारी अलग–अलग दर्ज किये जाने एंव ख.न. 635/223 को रिकोर्ड से अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावे।

अतः आदेश 144 सीपीसी के तहत मंशा माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकृत की तारीफ में आने से प्रार्थना पत्र को डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में किया।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 11, 12 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए जो बावजूद इत्तला के गैरहाजिर रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 , 5 से 9 , 13 से 19 की ओर से वकील नरेन्द्र सिंह राठौड़ के द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतू समय चाहा गया ।

6. वकील अप्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र 144 सी.पी.सी. के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर वकील अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर दिनांक 26.7.2021 को बंद मिसल वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

7. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवानित वाद के संबंध में पूर्व में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 से 18 ने एक राजस्व वाद बाबत् हक घोषणा खातेदारी ,बंटवाड़ा खेताय एंव दुरूस्ती रेकर्ड आदि हेतु न्यायालय हाजा में विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल के पेश किया जिसमें मौजा नोखा जोधा के खेताय ख.न. 223, 223/467, 223/468, 32/466, 348, 251/469 व 380 के सम्बन्ध में बंटवाड़ा एंव अलग-अलग खातेदारी घोषित किये जाने की याचना चाही गयी। प्रार्थीया व अप्रार्थी 1 से 18 तथा दीगर व्यक्ति मोहनलाल पुत्र सीताराम ,जेठीदेवी पत्नि केदारमल , राजाराम पुत्र किशनलाल भी वाद पत्र में वादी दर्ज रहे। प्रदर्श 1 से 16 वाद संख्या 144/1999 अनवान डूंगरमल वगैराह बनाम सरकार दर्ज होकर बाद सुनवाई के वाद वादीगण दिनांक 24.7.2008 को स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री पारित बाबत आदेश होकर दिनांक 8.8.2008 को निर्णय माफिक डिक्री पर्चा जारी किया गया। राजाराम पुत्र किशनलाल व अप्रार्थी संख्या 19 विनोद गोद पुत्र सरजू ने एक वाद पत्र अप्रार्थी संख्या 17 व 18 के विरूद्ध तथा राजस्थान सरकार के विरूद्ध वर्ष 2008 में प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खेताय मौजा नोखाजोधा के ख.न. 32/466, 223/467, 2323/468, 251/469, 348, 380 कुल 71.04 बीघा भूमि के विभाजन व खातेदारी घोषणा बाबत प्रदर्श 17 से 20 राजस्व वाद संख्या 215/2008 अनवान राजाराम वगैराह बनाम सरजू वगैराह का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जो वाद पत्र दिनांक 30.7.2009 का स्वीकार कर निर्णय एंव डिक्री किया जाकर डिक्री पर्चा जारी किया गया । इस पश्चातवर्ती दावा के डिक्री व निर्णय की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 जो वाद संख्या 215/08 में पारित की गयी बाबत अपील प्रदर्श 21 से 24 राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर की अदालत में पेश की जो अपील अनुवान जमुना बनाम राजाराम वगैराह अपील संख्या 75/2010 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई दोनों पक्षकारों के दिनांक 15.3.2015 को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय से वाद संख्या 215/2008 दिनांक 30.7.2009 का पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया । लेकिन इससे पूर्व ही पश्चातवर्ती वाद संख्या 215/2008 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 की पालना होकर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री के अनुसार ख.न. 32/466 रकबा 11.10 बीघा, ख.न. 223/467 रकबा 18.00 बीघा , ख.न. 223/468 रकबा 14.00 बीघा , ख.न. 251/469 रकबा 13.10 बीघा , ख.न. 348 रकबा 4.19 बीघा, ख.न. 380 रकबा 9.05 , 223/468 रकबा 14 बीघा का बंटवाड़ा होकर जरिये नामान्तरकरण सख्या 385 दिनांक 5.10.2009 के राजाराम ,विनोद, सरजू व तुलछीराम की खातेदारी में अलग-अलग दर्ज कर दिये गये । पश्चातवर्ती वाद संख्या 215/2008 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 30.7.2009 को अपील न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिये जाने व उसकी आज दिनांक तक कोई अपील निगरानी नहीं होने से अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.3.2015 अन्तिम है जिससे वाद संख्या 215/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 के तहत राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज को उपान्तरण कराया जाकर माननीय न्यायालय से वाद संख्या 114/1999 अनवान डूंगरमल वगैराह बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2008 को की गई जिसका डिक्री पर्चा दिनांक 8.8.2008 को जारी किया गया के

अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः पश्चातवर्ती वाद संख्या 215/2008 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 में पारित डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेखों में कराये गये इन्द्राज को उपान्तरित कराते हुए निर्णय दिनांक 28.4.2008 डिक्री दिनांक 8.8.2008 जो वाद संख्या 114/1999 में पारित किये गये के अनुसार मौजा नोखाजोधा के खेताय ख.न. 223 रकबा 23 बीघा , ख.न. 52/466 रकबा 11.10 बीघा , ख.न. 223/467 रकबा 18 बीघा , खन. 223/468 रकबा 14 बीघा , ख.न. 251/469 रकबा 13.10 बीघा , ख.न. 348 रकबा 4.19 बीघा , ख.न. 380 रकबा 9.05 बीघा की खातेदारी अलग–अलग दर्ज किये जाने एंव ख.न. 635/223 को रिकोर्ड से अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावे। वकील प्रार्थीया ने बहस में आगे निवेदन किया कि वकील अप्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण हाजा में जवाब एंव साक्ष्य का अवसर न्यायालय हाजा द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रस्तूत नहीं किये जाने से बंद किया गया है। हस्तगत प्रकरण वर्तमान में वकील अप्रार्थी द्वारा न तो नियत समयावधि में प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा न ही जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद होने पर साक्ष्य जिरह सुरक्षित (रिजर्व) रखा गया है। इस स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की आर.बी.जे. 2014 पेज 64 व 2013 डी.एन.जे. 247 में पारित आदेशानुसार वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने तथा साक्ष्य जिरह हेतु अवसर नहीं प्रदत्त नहीं किये जा सकते है।

इस प्रकार वकीलप्रार्थीया का वादग्रस्त खेतायो के सबंध में अप्रार्थीगणपक्ष की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी 3 , 5 से 9 , 13 से 19 द्वारा न तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है, न ही किसी प्रकार का एतराज या काऊन्टर क्लेम पेश किया है तथा जवाबदावा/काऊन्टर क्लेम हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब बंद होने पर साक्ष्य जिरह हेतु अधिकार सुरक्षित रखने बाबत निवेदन किया गया है।

8. प्रार्थनापत्र 144 सी.पी.सी. पर बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि वकील अप्रार्थी संख्या 3 , 5 से 9 , 13 से 19 को दिनांक 15.03.2021 से लगातार जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर दिये गये है तथा वकील प्रार्थी द्वारा आपत्ति जाहिर करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया है। उक्त आदेशिका में वकील अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं कराया तथा न ही जवाब के अवसर बंद होने की स्थिति में साक्ष्य जिरह के दौरान अधिकार सुरक्षित रखे जाने का जिक्र किया है।

अतः उपरोक्त बहस में दी गई दलीलों पर मनन व विवेचन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वकीलप्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 से 16 राजस्व वाद संख्या 144/1999 डूंगरमल बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.4.2008 डिक्री आदेश दिनांक 8.8.2008 अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् के मध्य मौजा नोखा जोधा के खेताय ख.न. ख.न. 223, 223/467, 223/468, 32/466, 348, 251/469 व 380 के सम्बन्ध में बंटवाड़ा एंव अलग–अलग खातेदारी घोषित किये जाने की याचना चाही गयी। प्रार्थीया व अप्रार्थी 1 से 18 तथा दीगर व्यक्ति मोहनलाल पुत्र सीताराम ,जेठीदेवी पत्नि केदारमल , राजाराम पुत्र किशनलाल भी वाद पत्र में वादी दर्ज रहे। वाद संख्या 144/1999 अनवान डूंगरमल वगैराह बनाम सरकार दर्ज होकर बाद सुनवाई के वाद वादीगण दिनांक 24.7.2008 को स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री पारित बाबत आदेश

होकर दिनांक 8.8.2008 को निर्णय माफिक डिक्री पर्चा जारी किया गया। प्रदर्श 17 से 20 से स्पष्ट है कि राजाराम पुत्र किशनलाल व अप्रार्थी संख्या 19 विनोद गोद पुत्र सरजू ने एक वाद पत्र अप्रार्थी संख्या 17 व 18 के विरूद्ध तथा राजस्थान सरकार के विरूद्ध वर्ष 2008 में प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खेताय मौजा नोखाजोधा के ख.न. 32/466, 223/467, 2323/468, 251/469, 348, 380 कुल 71.04 बीघा भूमि के विभाजन व खातेदारी घोषणा बाबत राजस्व वाद संख्या 215/2008 अनवान राजाराम वगैराह बनाम सरजू वगैराह का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जो वाद पत्र दिनांक 30.7.2009 का स्वीकार कर निर्णय एंव डिक्री किया जाकर डिक्री पर्चा जारी किया गया। प्रदर्श 21 से 24 से 24 स्पष्ट है कि प्रार्थीया को पश्चातवर्ती दावा के डिक्री व निर्णय की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2009 जो वाद संख्या 215/08 में पारित की गयी बाबत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर की अदालत में पेश की जो अपील अनुवान जमुना बनाम राजाराम वगैराह अपील संख्या 75/2010 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई दोनों पक्षकारों के दिनांक 15.3.2015 को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय से वाद संख्या 215/2008 दिनांक 30.7.2009 का पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया।

अतः वाद संख्या 114/1999 डूंगरमल बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.4.2008 डिक्री आदेश 8.8.2008 व वाद संख्या 215/2008 राजाराम बनाम सरजू वगैराह निर्णय/डिक्री आदेश दिनांक 30.7.2009 में अनुवान खसरान समान पाया गया है। यदि पक्षकारान् में से वाद में पारित निर्णय /डिक्री आदेश से असतुंष्ट है तो सी.पी.सी. सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही कर रिस्टोर किया जाना चाहिऐ अथवा सक्षम अपीलीय न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करना चाहिए न कि नवीन वाद लाया जाना चाहिऐ। वकील अप्रार्थीगण के द्वारा समान खसरान एवं अनुतोष के लिए पूर्व में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 114/1999 डूंगरमल बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.4.2008 डिक्री आदेश 8.8.2008 के विरूद्ध रिस्टोर/ अपील नहीं कराकर तथ्यों को छुपाकर नवीन राजस्व वाद संख्या 215/2008 राजाराम बनाम सरजू वगैराह पेश किया जिसमें निर्णय/डिक्री आदेश दिनांक 30.7.2009 पारित गया जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा अपील संख्या 75/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.3.2015 द्वारा अपास्त किया गया ।"सिविलप्रक्रियासंहिता **की धारा 144 मे किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील , पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उल्टा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वह न्यायालय जिसने आदेश पारित किया था उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार , जहां तक हो सके , उस स्थिति में हो जाएगें जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश या उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपांतरित किया गया है। पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय को इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश करने का प्रावधान है उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने , उलटने , अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप से पारिणामिक है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

अतः वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. दिनांक 09.08.2019 ग्रहण किये जाने योग्य तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के अपील 75/2010 निर्णय, डिक्री आदेश दिनांक 15.03.2015 प्रत्यास्थापन उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

1. वकीलप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. ग्रहण किये जाने योग्य होने से ग्रहण किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के अपील 75/2010 निर्णय, डिक्री आदेश दिनांक 15.03.2015 द्वारा न्यायालय हाजा के वाद संख्या 215/2008 दिनांक 30.7.2009 का पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिये जाने से तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि अनुवादित खसरान् की भूमि किसी न्यायालय स्थगन आदेश से प्रभावित न हो तथा वाद /अपील इत्यादि विचाराधीन न हो तो न्यायालय हाजा के वाद संख्या 215/2008 दिनांक 30.7.2009 का पारित निर्णय व डिक्री के प्रभाव से राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राज निरस्त किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 11/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया जाकर खुल न्यायालय सुनाया गया।

11/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(एसडीएम)जायल

डिक्री आदेश

आदेश 21 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायककलक्टर (एस.डी.एम.) जायलजिला–नागौर

पीठासीनअधिकारी–श्रीरवीन्द्रकुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थी/वादी–

1. जमुनादेवी बेवा हनुमानप्रसाद
   जति–ब्राह्मण निवासी–नोखा जोधा , तहसील–जायल

प्रतिवादीगण–

1. डूंगरमल पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
2. प्रेमचन्द पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
3. नानूराम पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
4. श्यामसुन्दर पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
5. रूपचन्द पुत्र हीरालाल उर्फ भंवरलाल
6. गणपत पुत्र मोहनलाल
7. जसकरण पुत्र मोहनलाल
8. कुंभराज पुत्र मोहनलाल
9. खेमराज पुत्र मोहनलाल
10. चौथमल पुत्र मोहनलाल
11. रामवतार पुत्र मोहनलाल
12. भागीरथ पुत्र केदारमल
13. रामकुंवार पुत्र केदारमल
14. माणकचन्द पुत्र केदारमल
15. नेमीचन्द पुत्र केदारमल
16. नागरमल पुत्र केदारमल
17. सरजू पत्नि भंवरलाल
18. तुलछीराम पुत्र किशनलाल जातियान ब्राह्मण निवासीगण नोखाजोधा तहसील जायल
19. विनोद गोद पुत्र सरजू जाति ब्राहमण निवासी नोखाजोधा तहसील जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 144 (सिविल प्रक्रिया संहिता) दिनांक 09.08.2019

मुकदमा नं. 55/2019

दिनांक : 11/05/2022

अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रार्थी की ओर से।

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ , अप्रार्थी 3 , 5 से 9 , 13 से 19 की ओर से।
2. एकपक्षिय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1,2, 4, 10, 11, 12,

11/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

दिनांक

– : : डिक्री आदेश : :–

न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री आदेश जारी किया जाता है:–

1. माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के अपील 75/2010 निर्णय, डिक्री आदेश दिनांक 15.03.2015 द्वारा न्यायालय हाजा के वाद संख्या 215/2008 दिनांक 30.7.2009 का पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिये जाने से तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि अनुवादित खसरान् की भूमि किसी न्यायालय स्थगन आदेश से प्रभावित न हो तथा वाद /अपील इत्यादि विचाराधीन न हो तो न्यायालय हाजा के वाद संख्या 215/2008 दिनांक 30.7.2009 का पारित निर्णय व डिक्री के प्रभाव से राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राज निरस्त किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है

यह आदेश आज दिनांक 11/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मेहर से जारी किया गया।

11/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायककलेक्टर
(एसडीएम)जायल